BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद भदोही **दिनांक-04.02.2025**

◆श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश व पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देश के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा फेक न्यूज़ व साइबर अपराध के विरुद्ध चलाया जा रहा विशेष अभियान

◆अभियान में युवाओं और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जोड़े जा रहे "डिजिटल वारियर"

◆छात्रों, युवाओं और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को प्रशिक्षित करने हेतु विद्यालय/ कॉलेज व विश्वविद्यालय में कार्यशाला का किया जा रहा आयोजन

◆आयोजित कार्यशाला के माध्यम से छात्रों एवं सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को उनके सामाजिक दायरे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल वॉरियर्स के रूप में किया जा रहा तैयार

◆श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में साइबर सेल व सोशल मीडिया सेल की संयुक्त टीम द्वारा के.एन.पी.जी. कॉलेज कस्बा ज्ञानपुर में कार्यशाला का आयोजन कर छात्रों को किया गया प्रशिक्षित

◆छात्रों को डिजिटल वॉरियर के कार्यों की जानकारी देकर उन्हें डिजिटल वॉरियर के रूप में जोड़कर अभियान में किया गया शामिल

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम में फेक न्यूज़ और साइबर अपराध के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में "डिजिटल वॉरियर" के रूप में युवाओं और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में युवाओं और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय के छात्रों को डिजिटल इनफ्लुएंसर को "डिजिटल वॉरियर" के रूप में जोड़ा जा रहा है। छात्रों, युवाओं और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को प्रशिक्षित करने हेतु विद्यालय/कॉलेज व विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आयोजित कार्यशाला के माध्यम से छात्रों एवं सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को उनके सामाजिक दायरे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल वॉरियर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है।

श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में आज दिनांक-04.02.2025 को साइबर सेल व सोशल मीडिया सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना ज्ञानपुर अन्तर्गत काशी नरेश स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन कर छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। छात्रों को "डिजिटल वॉरियर" के कार्यों की जानकारी देकर उन्हें डिजिटल वॉरियर के रूप में जोड़कर अभियान में शामिल किया गया।

साइबर अपराधों से बचाव हेतु जनपदीय साइबर क्राइम टीम के द्वारा आवश्यक जानकारियां दी गयी:-

1-साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना तत्काल हेल्पलाइन नम्बर-1930/112 पर दें, जिससे धनराशि खाते में होल्ड करायी जा सके।

2-साइबर अपराध एनसीआरपी पोर्टल की वेबसाइट- www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

3-खाते में केवाईसी अपडेट कराने के लिये बैंको द्वारा कभी भी किसी से व्यक्तिगत जानकारी /ओटीपी /सीवीवी/पिन नम्बर नही मांगी जाती है।

4-किसी अंजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप डाउनलोड न करें।

5-किसी भी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से पहले अच्छी तरह से जांच लें।

6-आनलाइन सेवायें प्रदान करने वाली कम्पनियों व सरकारी विभाग/कम्पनियों के कस्टमर केयर का नम्बर अधिकारिक व्यवसाइट से ही प्राप्त करें।

7-अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात मोबाइल नम्बर द्वारा भेजी गयी लिंक को क्लिक न करें।
8-किसी से पैसा प्राप्त करते समय अपनी यूपीआई आईडी/पासवर्ड न डालें, पैसा प्राप्त करते समय इसकी कोई आवश्यकता नही होती है।
9-एटीएम से पैसा निकालते समय सावधानी बरतें, एटीएम कक्ष में किसी अन्य को प्रवेश न करने दें अथवा गार्ड वाले एटीएम को ही प्रयोग में लायें। अपना एटीएम कार्ड किसी अन्जान व्यक्ति के हाथ में न दें।
10-फेसबुक व अन्य सोशल साइट पर साइबर अपराध का शिकार होने से बचने के लिए किसी भी अन्जान व्यक्ति को जोड़ने या मित्र बनाने से बचें।
11-प्रायः कुछ फ्राड व्यक्तियों द्वारा आम लोगों को काल करके, पैसा भेजने का फर्जी स्क्रीनशाट भेजकर वापस करने का रिक्वेस्ट कर पैसा अपने खाते में मंगवा ले रहे है और आम जनमानस अपने खाते को चेक किये बिना केवल स्क्रीनशाट देखकर पैसा भेजकर फ्राड का शिकार हो रहे हैं।
12-कृपया किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा पैसो की मांग किये जाने पर अच्छे से जाँच ले एवं अपने खाते का बैलेंस चेक कर ले, किसी के बहकावे में न आये।
13.सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना की सच्चाई/सत्यता का पता किए बगैर शेयर करने, कमेन्ट व उसे फॉरवर्ड करने से बचें।
14.सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अलग-अलग समुदायों के बीच नफ़रत पैदा करने वाला पोस्ट, वीडियो या तस्वीर शेयर न करें।
15.सोशल मीडिया पर ऐसा कोई शब्द/कमेन्ट, पोस्ट, फोटो, वीडियो कदापि न पोस्ट करें जिससे किसी धर्म या समुदायों के लोगों की आस्था, मन या भावना को ठेस पहुंचती हो। इस तरह से पोस्ट करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16.सोशल मीडिया का सकारात्मक एवं सुरक्षित तरीके से सदैव प्रयोग करें। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना/शेयर करना दण्डनीय अपराध है।

☞ **भदोही पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर प्रत्येक पोस्ट/खबर/सामग्रियों पर निरन्तर कड़ी नजर रखी जा रही है। आपत्तिजनक/भड़काऊ/भ्रामक पोस्ट या वीडियो या तस्वीर का सोशल मीडिया में प्रसारित होने पर अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।**
कार्यक्रम के दौरान के0एन0पी0जी0 कालेज की प्रवक्ता डॉ0 रश्मि सिंह, डॉ0 कल्पना अवस्थी, डॉ0 शेफाली सिंह, डॉ0 रवि कुमार यादव, डॉ0 मनोज विश्वकर्मा व डॉ0 रविंद्र पाण्डेय व छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।